

ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी इन सभी भौतिकीयों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की "जीवन सुगमता" को बेहतर करने में महत्वपूर्ण है।
 (ग्राम पर्यायत और या इसकी उप-समिति, अर्थात् डी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ पर्यावरण समूह आदि द्वारा जानी है और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी है। आइए एस.ए. द्वारा मानेदर्शन महायज्ञ प्रदान की जानी है।)

1. तैयारी की तारीख

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: १५.०९.२०२३

डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख: २२.०९.२०२३

2. ग्राम का नाम:

ग्राम पर्यायत का नाम:

प्रियुनायतपुर

बसौंक का नाम:

समिटिट डोज

ज़िला का नाम:

लखरामपुर

राज्य का नाम:

(उत्तर प्रदेश)

ग्राम जनगणना कोड:

(यदि लागू हो तो, बसियों की संख्या और उनके नाम)

1. ग्राम पर्यायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : ०१—(सख्त) मध्येरी कुंडों को और ०२—(सख्त) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् १० घन्टे नियंत्रित गुणवत्ता + ताले..... एल.पी.सी.डी. जल को आपूर्ति वर्ष २०२५ तक ५०% तक वृद्धि कराना। परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एक एच.टी.सी. प्रदान करना।

हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनाव, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें सदृश्यता नहीं करेंगे। हम अपने गढ़े जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का १०%, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिणामित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

* पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पढ़ पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. ग्राम पर्यायत और या इसकी उप-समिति, अर्थात् डी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ पर्यावरण समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?
 (ग्राम पर्यायत और/या इसकी उप-समिति):

समिति को क्या कहा जाता है: पेग लल छंव र-वर्टहता लभीहि विगु-नायतपु

अध्यक्ष का नाम: स्वामीनाथ वर्मी

लिंग: मुल्ला

आयु: ५५

संदर्भ का नाम

लिंग

आयु

तुलसीराम

PC

समिटिट डोज

गाँव

ग्राम पर्यायत योजनाराम

प्रभाव द्वारा दिल्ली

III. सामान्य विवरण

6.

2011 की जनगणना के अनुसार:

जनसंख्या	<u>206</u>
परिवारों की संख्या	<u>42</u>
महिलाओं की संख्या	<u>133</u>
पुरुषों की संख्या	<u>73</u>
बच्चों की संख्या	<u>153</u>
एफ.एच.टी.सी. की संख्या	<u>47</u>

वर्तमान प्रचलित आगतवारी रिकॉर्ड के अनुसार:

वर्तमान जनसंख्या	<u>314</u>
परिवारों की संख्या	<u>46</u>
महिलाओं की संख्या	<u>146</u>
पुरुषों की संख्या	<u>168</u>
बच्चों की संख्या	<u>51</u>
एफ.एच.टी.सी. की संख्या	

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि) _____ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम चरण
वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि) _____ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मरवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): _____

9. कृषि फसल पैटर्न: _____

प्रमुख फसलें	बरीक	रबी
गन्ना	✓	✓
धान	✓	
मक्का	✓	
कपास		
गेहूँ		✓
अन्य		

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. मी.): _____

11. स्थलाकृति (समतल, दलान, आदि): _____

IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हौं / नहीं)

(‘शाम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)

13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हौं / नहीं)

(‘शाम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)

1. स्कूल	2. आगंतवारी	3. स्वास्थ्य केन्द्र	4. शाम पंचायत भवन	5. अन्य	क्या एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध है? (हौं/नहीं)	क्या वर्षा जल संचयन संरचना उपलब्ध है? (हौं/नहीं)	सोबता गड्ढी की उपलब्धता? (हौं/नहीं)
स्कूल	आगंतवारी	स्वास्थ्य केन्द्र	शाम पंचायत भवन	अन्य	हौं	हौं	हौं
नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हौं	हौं	हौं

प्रियकरण
PC

जनपाठ

शाम पंचायत भवन
पंचायत नियमित बोर्ड

पानी की कुल ईमेक आवश्यकता

15. पानी की वरीगत आवश्यकता - जनसंख्या X दर 2.95-39 के लिए
 संवैधिकों के लिए पानी की वरीगत आवश्यकता 3.61 के लिए
 संवैधिक कठोर आवश्यक संख्या
 संवैधिक परण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर 385-56 के लिए
 अतिम घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर 389-91 के लिए
पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त
16. गोव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/तूफान/प्रदूषण/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपूर्ति का पैटने,
 पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति नहीं पर्याप्त रुक्षित जल और ऊर्ध्वजल और ऊर्ध्वजल युक्त
17. आपातकालीन व्यवस्था का कोड़े इतिवृत्त जैसे टकियों, रेत गाड़ियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति।
18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आशिक कार्य, स्रोत को गुणवृत्त करने का इतिवृत्त
19. जल जनित धौगी का इतिवृत्त: बुखार, डामरिया, पीलिया, गोहिया, लिंगी
 पानी की गुणवत्ता
20. फोल्ड परीक्षण किट / वायरल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनियंत्रित तरीख:
21. सीनिटी निरीक्षण के लिए अभिनियंत्रित तरीख:
22. जल आपूर्ति योजना में इस्टोगाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पेयजल स्रोत (छोटों) के पानी की गुणवत्ता स्रोत का नाम (अवस्थिति):

मापदंड	तरीका	परिणाम
गढ़नी	इथर तुलना	1.86
पीएच	पही रंग तुलना	2.84
पूर्ण नवणता	टिटीमेट्रिक विधि	2.76
पूर्ण सारीयता	टिटीमेट्रिक विधि	3.29
बलोराइड	टिटीमेट्रिक विधि	17.02
आसीनिया	इथर रंग तुलना	
फास्केट	इथर रंग तुलना	
अवशिष्ट कलोरीन	इथर रंग तुलना	
आयरन	इथर रंग तुलना	
नाइट्रोट	इथर रंग तुलना	
फलोराइड	इथर रंग तुलना	
आसीनिक (हॉटस्पॉट में)	इथर रंग तुलना	

कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान

23. यह समावना है कि गांव के कुछ गोदानों में कपड़े धोने के लिए और या नंबर कलोकशन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनियंत्रित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं:

अवस्थिति का नाम **पर्ती की संख्या** **आवादी**

तुलसीराम
PC

लक्ष्मीनारायण

आवादी

प्र० स्थानिक

24. भू-जल योगी के मामते में, क्या शोधने विकास मार्ग है? (हाँ/नहीं)
25. यहाँ में उन योजनाओं की सूची लिखना आवश्यक नहीं किया जाता मार्ग है?

मार्ग जल का प्रबन्धन

26. उपचल मुद्दा जल (जल साधारणी का 65%); 152.00 का जल है।

अवगत-जल सोधना मुद्दे का परिवारी की संख्या 11

उन परिवारों की संख्या जिनके सोधना मुद्दे की आवश्यकता है 13

आवश्यक सामूहिक सोधना मुद्दे की संख्या

क्या अधिकारी तत्त्वाधार की आवश्यकता है? (हाँ/नहीं) हाँ

यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अधिनियमीकृत किया गया है हाँ

यदि नहीं, तो मुद्दा जल प्रबन्धन के बीच से अन्य उपचली के अध्यायों जैसा चाहिए?

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस बोर्डी के तहत एक एच.डी.सी. प्रदान किया जाएगे:

- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.इन्डिया, के तहत सुन की गई योजनाओं की रेटिंग्सिटिंग
- पूरी ही युके आर.इन्डिया एस. की रेटिंग्सिटिंग ताकि इसे जै.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- नियमीकृत गुणवत्ता का लाए पर्याप्त भू-जलविभाग वाटा स्थगीय या प्रधानीय जल का लाए गायी है एस.डी.एस.
- योजना की आवश्यकता का लाए किन्तु पर्याप्त भू-जल का लाए गायी है एस.डी.एस.
- याटर विडावोरीय जल आपूर्ति योजनाओं का लाए एम.डी.एस.
- मिनी सीर ऊर्जा आपूर्ति पी.इन्डिया.एस. औ एकान्त्र/आदिवासी बहिरायी में स्थित है

28. अधिनियमीकृत जल योजना स्ट्रोम्युटा जल बोर्डी से तकनीकी-आर्थिक और सामर्थ्य-आर्थिक मुद्दाओं के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना की रेटिंग शाम प्रेस्चाप्ट में नी हाँ

इस योजना के लिए अधिनियमीकृत भूमि: शाम प्रेस्चाप्ट फ्रेंड्रुप्रेस्चाप्ट

वह तरीका, जिस पर यह भूमि पी.एच.डी.सी./आर.इन्डिया.एस. विभाग को संपर्क की जाएगी:

योजना की लागत: भारत सरकार का हिस्सा 50% राज्य का हिस्सा 50%

समुदाय का हिस्सा: 10% व्यक्तिगत घोर्ट सामिक जल सुनक

पर्याप्तता सुनक: व्यक्तिगत घोर्ट सामिक जल सुनक कोई दूसर्य बसावट ही तो, अधिनियमीकृत

पी.इन्डिया.एस.:

VI. मेल-जोड़

(निम्नलिखित तालिका में उन सामाजिक योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत नियमित/नियमित मेल-जोड़ सम्भव है। यह समुदाय द्वारा याम की आवश्यकताओं के अनुसार अधिनियमीकृत योजनाओं के प्रस्तुत भौति जैसे हैं।)

योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	समाजिक योजनाओं जो सुन की जा सकती है	प्रस्तुति विषय
योजना कित्त	याम परायन	वै-वार मेल-जोड़	
आयोग		केन्द्र विभाग भौति	
स्वास्थ भारत	स्वास्थ और स्वास्थ्य विभाग	वै-वार मेल-जोड़ सुनक	(व्यक्तिगत / समुदायिक)
मिशन - सुविधा (एस.डी.एस.-डी.)	जल संवित संसाधन	अधिकारी तत्त्वाधार आवश्यकता	
एस.डी.एस.जै.सी.एस.	व्यापार विभाग संसाधन	प्रौद्योगिक सामाजिक प्रबन्धन (एस.डी.एस.)	प्रौद्योगिक सामाजिक प्रबन्धन (एस.डी.एस.)

प्रौद्योगिक
PC

समाजिक योजना



योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	समावित गतिविधियाँ और शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित लिखि
एकीकृत वाटरशेड प्रबन्धन कार्यव्यवस्था (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	भौमि संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबन्धन आर.डब्ल्यू.एम./ भौमि पुनर्जीवन, जल निकायी का नियन्त्रण वृद्धि आदि।	
जल भ्रष्टारों की मरम्मत, नदीधीकरण और जीणिद्वारा	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संसाधन विभाग	बड़े जल भ्रष्टारों का जीणिद्वारा	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.डी.वाई.)	कृषि, सहकारिता और विकास कल्याण	वाटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिध्धांशु योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न कालों के लिए सुहम-सिंचाई का प्रबन्धन, एकीकृत से जल की निकासी को कम करने के लिए	
क्षेत्रिपूरक कनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	कनीकरण, जल परिस्थिति की तरफ का पुनर्जीवन, वाटरशेड विकास, आदि।	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	
समय शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पैदेजल अपूर्ति का प्रबन्धन	
आकांक्षी जिला कार्यव्यवस्था	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकानंद निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियों	
जिला छानिज विकास निधि (डी.एम.ए.फ.)	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	
एम.पी.एस.ए.डी.	साहियवंशी और कार्यव्यवस्था कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीउआई)	अंतर्गत अवसरवना	
एम.एल.ए.एल.ए.डी.	राज्य	अंतर्गत अवसरवना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मानवों का मंत्रालय और राज्य	अंतर्गत अवसरवना	
दानदाता/प्रायोजक			

गुललीराज
PC

गुललीराज



गुललीराज
प्रायोजक

अधिकार का हस्ताक्षर *लक्ष्मी भूषण*

पो.एच.डी. / भारतम् एवं विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

आई.एस.ए. प्रतिबोधि का नाम और हस्ताक्षर (गढ़ि लागू हो) *Balaji Bhushan Yadav* १९

संपर्क विवरण

याम पचायत और/या इसकी उप-समिति, अधीकारी की इकाय एवं सीधी समिति/प्रबोक्ता समूह, जांच का जानकार पचायत समिति का नाम और फोन नंबर: *एम्स्ट्रो* — ९९१८१०६०५२
जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की घोकसी सुनिश्चित करने के लिए पाय महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. गणेश कुमारी पट्टी प्रभागदत्त — ९९१९९१५१०७
2. नीरा कुमारी " कृष्णदत्त — ८५४६०१९३९६
3. कुम्हुम " गोपेश पट्ट — ८०५२६९७७०३
4. छीता देवी " मनोज कुमार — ९६१४८१२१२४
5. पुष्पा खाठक " अमरेश कुमार — ८४२३७५५८२१

पप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर:

छोटीपुंजार वर्मा पुत्र स्वामी नाथ — ९६४८४८१४७६

लक्ष्मी भूषण

SC

लक्ष्मी भूषण

लक्ष्मी भूषण

पुत्र स्वामी नाथ
प्रबोक्ता
आई.एस.ए.